न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील - 2917/2018/जबलपुर/भू.रा

प्रकरण कमांक जिला - जबलपुर

संजू गौंड उम्र 22 वर्ष पिता स्व0 बारेलाल गौंड
निवासी ग्राम मुकनवारा, पोस्ट घाटपिपरिया
तहसील व जिला जबलपुर ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

महेन्द्र कुमार दुबे उम्र 60 वर्ष
पिता स्व. तुलसीदत्त दुबे
निवासी म0नं0 11 ग्राम मुकनवारा
पोस्ट घाट पिपरिया तहसील व
जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- प्रत्यर्थी

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक177/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-8-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सिवनीटोला नं0बं0 445 प0ह0नं0 26/36 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 97/3 रकबा 0.260 हैक्टर स्थित है । इस भमि के अतिरिक्त आवेदक के पास अन्य ग्रामों में भी भूमियां हैं । अपीलार्थी द्वारा ग्राम सिवनीटोला स्थित भूमि खसरा नं0 97/3 रकबा 0.260 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्री महेन्द्र कुमार

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/2917/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 177/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-8-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा)की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति का है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए कि पक्षकारों को प्रकरण चलनशीलता में रूचि नहीं है प्रकरण दिनांक 28-8-17 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर किया जाये । अत: प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सिवनीटोला नं0बं0 445 प0ह0नं0 26/36 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 97/3 रकबा 0.260 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि अपीलार्थी की पैत्रिक भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 3.79 हैक्टर भूमि अन्य ग्राम में शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा उनके अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: कलेक्टर, जबलपुर द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28-8-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम सिवनीटोला नं0बं0 445 प0ह0नं0 26/36 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 97/3 रकबा 0.260 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य अपीलार्थी को अदा	

(3)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/2917/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	